पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, उत्तर प्रदेश

8वॉं तल, टावर-4, पुलिस मुख्यालय, अमर शहीद पथ , गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ -226002 :e- mail : tshq@nic.in

पत्रांकः TS-CCTNS-82/2012(XII) दिनांक: जनवरी 06, 2023

सेवा में,

1. पुलिस आयुक्त, जनपद- लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, गौतमबुद्धनगर, प्रयागराज, गाजियाबाद, आगरा, उ0प्र0।
2. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, जोन, उ0प्र0।
3. समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, परिक्षेत्र, उ0प्र0।

विषय- उत्तर प्रदेश जनहित गारण्टी अधिनियम, 2011 को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने के सम्बन्ध में।

कृपया उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या- 582/6-पु0-15/2022 दिनाँक 27 जुलाई, 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जिसके माध्यम से उ0प्र0 जनहित गारण्टी अधिनियम, 2011 को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने के सम्बन्ध में मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनाँक- 06.07.2022 को आहूत बैठक में प्रत्येक विभाग द्वारा अपनी वेबसाइट पर पदाभिहित अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी, द्वितीय अपीलीय अधिकारी एवं समीक्षा (reviewing) अधिकारी का नाम, फोन नम्बर व ई-मेल एड्रेस निश्चित रूप से अपलोड करने के निर्देश निर्गत किये गये है।

उल्लेखनीय है कि राज्य की जनता को निश्चित समय-सीमा के भीतर सेवायें प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश में उ0प्र0 जनहित गारण्टी अधिनियम, 2011 लागू किया गया है। जिसके क्रम में पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 महोदय द्वारा अपने पत्र संख्या- डीजी-44/2017 दिनाँक दिसम्बर 15, 2017 के माध्यम से जनहित गारण्टी अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत अंकित सेवाओं के निस्तारण हेतु मुख्यालय स्तर एवं जनपदीय/प्रकोष्ठ स्तर पर प्रथम अपीलीय अधिकारी/द्वितीय अपीलीय अधिकारी/पुर्नरीक्षण अधिकारी नामांकित किये गये थे।

उ0प्र0 जनहित गारण्टी अधिनियम, 2011 की समीक्षोपरान्त पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 महोदय द्वारा दिनाँक 01.01.2023 को पुनः निम्नानुसार प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं द्वितीय अपीलीय अधिकारी नामित किये गये है, जो कि उ0प्र0 जनहित गारण्टी अधिनियम, 2011 में वर्णित व्यवस्था के अनुरूप निर्धारित समय-सीमा के भीतर सेवायें नागरिकों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे -

अधिकारी	**पूर्व में नामित अपीलीय अधिकारी**	**जनपदीय/प्रकोष्ठ स्तर पर नामित अपीलीय अधिकारी**
प्रथम अपीलीय अधिकारी	अपर पुलिस अधीक्षक	परिक्षेत्रीय कार्यालय प्रभारी
द्वितीय अपीलीय अधिकारी	पुलिस अधीक्षक	जोन कार्यालय प्रभारी

उक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उ0प्र0 जनहित गारण्टी अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत पूर्व में नामित प्रथम अपीलीय अधिकारी/द्वितीय अपीलीय अधिकारी का नाम, फोन नम्बर व ई-मेल एड्रेस का विवरण उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट के होम पेज पर पुलिस यूनिट मेन्यू के अन्तर्गत इंग्लिश वर्जन में "Appellate/Review officer in Janhit Gurantee Adhiniyam" तथा हिन्दी वर्जन में "जनहित गारंटी अधिनियम में अपीलीय अधिकारी/समीक्षा अधिकारी" के लिंक के अन्तर्गत प्रदर्शित हो रहा है।

अतः निर्देशानुसार, उक्त सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि उ0प्र0 जनहित गारंटी अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत जनपदीय/प्रकोष्ठ स्तर पर नामित प्रथम अपीलीय अधिकारी/द्वितीय अपीलीय अधिकारी का नाम, फोन नम्बर व ई-मेल एड्रेस से सम्बन्धित सूचनायें उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर अद्यावधिक किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने की कृपा करें। उक्त पत्र पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 महोदय के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है।

6/11/2023

(शहाब रशीद खां)
पुलिस अधीक्षक/सहायक निदेशक,
उ0प्र0 पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र,
लखनऊ।

प्रतिलिपिः-

1. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिदेशक के जी0एस0ओ0, उ0प्र0 को सूचनार्थ प्रेषित।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें मुख्यालय, उ0प्र, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।